

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(श्रमायुक्त का कार्यालय, FaxNo-0651-2481013, E-Mail-labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम-25 के उपनियम (2) के खण्ड(v) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक - 43, दिनांक - 08.01.2020 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबन्धित अनुलग्नक के प्रावधान-13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक - 01.04.2020 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें देय होंगी।

अतः दिनांक- 01.04.2020 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी :-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक-08.01.2020 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2020 से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ता	कुल
अकुशल	8,571.78	654.88	9,226.66
अर्द्ध कुशल	8,977.47	685.87	9,663.34
कुशल	11,935.06	911.83	12,846.89
अतिकुशल	13,675.59	1,044.81	14,720.40

(राम निवास यादव)

श्रमायुक्त, झारखण्ड।

ज्ञापांक-1 / ठे0म0अ0(श्रमा0)-08 / 2011 श्र0नि0 1161 राँची, दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड, डोरण्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं आगामी राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1 / टे0म0अ0(श्रमा0)-08 / 2011 श्र0नि0 1161 राँची, दिनांक 16/10/2020
प्रतिलिपि:- मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव /
सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव /
श्रमायुक्त, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2334
15/10/2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1 / टे0म0अ0(श्रमा0)-08 / 2011 श्र0नि0 1161 राँची, दिनांक 16/10/2020
प्रतिलिपि:- झारखण्ड, सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी
उपायुक्त / संयुक्त श्रमायुक्त / उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित) / मुख्य
कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड / उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना
निरीक्षक झारखण्ड / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि-श्रमिक सहित) / सभी श्रम
अधिक्षक (कृषि श्रमिक सहित) / सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2334
15/10/2020
सरकार के अवर सचिव।